क्रम-संख्या---316

रजि. नं. एल. डब्ल्यू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०--41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 अगस्त, 1997

श्रावण 27, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1215/सत्रह-वि-1-1 (क) 20-1997

लखनऊ, 18 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 16 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1997]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 और उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

अध्याय–2

यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901 की धारा 5 का संशोधन

2––यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में शब्द "अपीलों, अभिदेशों" के स्थान पर शब्द "अपीलों" रख दिया जायगा।

धारा 8 का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द "अपील या अभिदेश", के स्थान पर शब्द "अपील" रख दिया जायगा।

अध्याय 10 के शीर्षक का प्रतिस्थापन

4––मूल अधिनियम में, अध्याय 10 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रख दिया जायगा, अर्थात् :––

"अपील और पुनरीक्षण"

धारा 218 का निकाला जाना

5––मूल अधिनियम की धारा 218 निकाल दी जायगी।

धारा 219 का प्रतिस्थापन

6––मूल अधिनियम की धारा 219 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

पुनरीक्षण

"219––(1) परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश या की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से उनके द्वारा निर्णीत किसी ऐसे मामले या ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है जिसमें कोई अपील न होती हो या अपील होती हो, किन्तु न की गई हो और यदि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ राजस्व न्यायालय ने,––

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, जो इस प्रकार निहित है; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, तो यथास्थिति परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी, ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई आवेदन या तो परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलक्टर या अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी के यहां प्रस्तुत किया गया है, तो उसी व्यक्ति का कोई और आवेदन उनमें से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।"

अध्याय–3

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 154 का संशोधन

7––उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 154 में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण और प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :––

"स्पष्टीकरण :––शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस उपधारा में पद "व्यक्ति" में "सहकारी समिति" भी सम्मिलित होगी और 15 जून, 1976 को सम्मिलित हुई समझी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां संक्रमिती कोई सहकारी समिति है, वहां उसके द्वारा धृत भूमि को, जो उसके सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 77 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन समुच्चय की गई हो, उसके द्वारा धृत 5.0586 हेक्टेयर (12.50 एकड़) भूमि की संगणना करने में नहीं लिया जायगा।"

धारा 333 का प्रतिस्थापन

8––मूल अधिनियम की धारा 333 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

वाद मंगाने की शक्ति

"333––(1) परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के अभिलेख को, जिस पर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो, जिसमें कोई अपील न होती हो या जहां अपील होती हो किन्तु न

की गई हो, में पारित आदेश की वैधता या औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के लिये मंगा सकता है और यदि ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने--

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है;

तो यथास्थिति परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त वाद में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई आवेदन या तो परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त को किया गया है, तो उसी व्यक्ति का कोई और आवेदन उनमें से किसी अन्य के द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा ।"

धारा 333-क का निकाला जाना

9--मूल अधिनियम की धारा 333-क निकाल दी जायेगी ।

संक्रमणकालीन उपबंध

10--इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 218 के अधीन या उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 333-क के अधीन परिषद को निर्दिष्ट समस्त मामले जैसे कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे और परिषद के समक्ष ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन थे, परिषद द्वारा सुने और निर्णीत किये जायेंगे मानो यह अधिनियम अधिनियमित न हुआ हो ।

आज्ञा से,
गणेश शंकर पाण्डेय,
विशेष सचिव ।

No. 1215 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 20-1997

Dated Lucknow, August 18, 1997

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhumi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 16, 1997.

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1997

[U.P. ACT NO. 20 OF 1997]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN
ACT

further to amend the U. P. Land Revenue Act, 1901 *and the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act*, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth year of the Republic of India as following :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short Title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1997.

CHAPTER II

AMENDMENT OF U. P. LAND REVENUE ACT, 1901

Amendment of section 5 of U.P. Act No.III of 1901

2. In section 5 of the U. P. Land Revenue Act, 1901, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, *for* the words "appeals, references", the word "appeals" shall be *substituted*.

Amendment of section 8

3. In section 8 of the principal Act, *for* the words "appeal or reference", the word "appeal" shall be *substituted*.

Substitution of the heading of Chapter X

4. In the principal Act, *for* the heading of Chapter X, the following heading shall be *substituted*, namely :—

"APPEAL AND REVISION"

Omission of section 218

5. Section 218 of the principal Act shall be *omitted*.

Substitution of section 219

6. *For* section 219 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"219 (1) The Board or the Commissioner or the Additional Commissioner or the Collector or the Record Officer, or the Settlement Officer, may call for the record of any case decided or proceeding held by any revenue court subordinate to him in which no appeal lies or where an appeal lies but has not been preferred, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed or proceeding held and if such subordinate revenue court appears to have—

Revision

(*a*) exercised a jurisdiction not vested in it by law, or

(*b*) failed to exercise a jurisdiction so vested, or

(*c*) acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity,

the Board or the Commissioner or the Additional Commissioner or the Collector or the Record Officer, or the Settlement Officer, as the case may be, may pass such order in the case as he thinks fit.

(2) If an application under this section has been moved by any person either to the Board, or to the Commissioner, or to the Additional Commissioner, or to the Collector or to the Record Officer or to the Settlement Officer, no further application by the same person shall be entertained by any other of them."

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950

Amendment of section 154 of U.P. Act no. I of 1951

7. In section 154 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1) at the end, the following Explanation and proviso shall be *inserted* namely :—

"*Explanation*—For the removal of doubt it is hereby declared that in this sub-section the expression "person" shall include and be deemed to have included on June 15, 1976 a "Co-operative Society" :

Provided that where the transferee is a Co-operative society, the land held by it having been pooled by its members under clause (*a*) of sub-section (1) of section 77 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 shall not be taken into account in computing the 5.0586 hectares (12.50 acres) land held by it."

Substitution of section 333

8. *For* section 333 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"333 (1) the Board or the Commissioner or the Additional Commissioner may call for the record of any suit or proceeding decided by any court subordinate to him in which no appeal lies or where an appeal lies but has not been preferred, for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order passed in such suit or proceeding and if such subordinate court appears to have ;

Power to call for cases

(*a*) exercised a jurisdiction not vested in it by law; or

(*b*) failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(c) acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity;

the Board or the Commissioner or the Additional Commissioner, as the case may be, may pass such order in the case as he thinks fit.

(2) If an application under this section has been moved by any person either to the Board or to the Commissioner or to the Additional Commissioner, no further application by the same person shall be entertained by anyother of them."

Omission of section 333-A

9. Section 333-A of the principal Act shall be *omitted*.

Transitory Provisions

10. Notwithstanding anything contained in this Act all cases referred to the Board under section 218 of the U. P. Land Revenue Act, 1901, or under section 333-A of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as they stood immediately before the commencement of this Act and pending before the Board on the date of such commencement shall continue to be heard and decided by the Board as if this Act has not been enacted.

By order,
G. S. PANDEY,
Vishesh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 145 सा० विधा०—(1002)—1997—8,50 (नैक०)।